राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्या:— 95 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :— 21.06.2024

GCMS ID—2024 / 117

1. फुलसिंह आ0 देवलाल जाति मीणा निवासी टोडा का गोठडा तहसील टोक राज0
2. मनभर देवी पुत्री देवलाल पत्नी फौरूलाल जाति मीणा निवासी सीतापुरा तहसील टोंक राज0
3. फुला देवी पुत्री देवलाल पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी बमणावत का झोपडा, रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
4. सेहनी बाई पत्नी देवलाल जाति मीणा निवासी टोडा का गोठडा तहसील टोंक जिला टोंक राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री महेश नामा
वकील अप्रार्थी :— परोकार सरकार।

दिनांक :— 06 / 02 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भूमि खाता संख्या 345 खसरा संख्या 152 / 1879 रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली में विरिथत है, जो प्रार्थीगण के पिता व पति के नाम गैरखातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीगण के पिता व पति की मृत्यु हो चुकी है, तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पति व पिताजी का नाम देवलाल आ0 छगना है, लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सुखदेव आ0 छगना गलत दर्ज हो रहा है, उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थीगण के पिता व पति के सभी सरकारी दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सभी सहकारी दस्तावेजात में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम देवलाल ही दर्ज है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमियॉ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सुखदेब आ0 छगना दर्ज हो रहा है, इसलिए राजस्व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

रिकॉर्ड में दर्ज गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर सुखदेव आ0 छगना के स्थान पर देवलाल आ0 छगना दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता व पति का देहान्त दिनांक 08.10.2021 को हो चुका है मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम फोती नामान्तकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तब राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त गलत इन्द्राज होने की बात कहने पर प्रार्थीगण को जानकारी हुई एवं बताया कि उक्त इन्द्राज सही होने पर ही आपके नाम फोती नामान्तकरण खोला जा सकता है, तब प्रार्थीगण उक्त इन्द्राज को सही करवाने हेतु तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 20.01.2024 को इन्कार कर दिया, यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सुखदेव गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के नाम उक्त भूमियों का फोती नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वंचित हो रहे है, और उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज नहीं करवा पा रहे है, ऐसी स्थिति में उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर सुखदेव के स्थान पर देवलाल दर्ज किया जाना आवश्यक है, जिससे कि प्रार्थीगण अपने पिता व पति की उक्त भूमियों का अपने नाम फोती नामान्तकरण खुलवा सके एवं सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सुखदेव आ0 छगना के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर देवलाल आ0 छगना दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम देवलाल आ0 छगना दर्ज करवावे। भूमि ग्राम रोणिजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 345 खसरा संख्या 345 खसरा संख्या 152/1879 रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सुखदेव आ0 छगना के इन्द्राज को दुरूस्त कर देवलाल आ0 छगना दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा नायब तहसीलदार दबलाना से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार सुखदेव पुत्र छगना व देवलाल पुत्र छगना एक ही व्यक्ति का नाम होने से शुद्ध किया जाना उचित अंकित किया है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/24/328 दिनांक :–25.11.2024 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रोणीजा के खाता संख्या 345 में वर्णित भूमि भूमि खसरा संख्या 152/1879 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में दर्ज सुखदेव पुत्र छगना के स्थान पर देवलाल पुत्र छगना प्रार्थीगण दर्ज करवाना चाहते है। मौके पर उपस्थित मौतबिरानों व मजमे आम में जानकारी करने पर बताया गया कि सुखदेव

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पुत्र छगना को देवलाल के नाम पुकारा जाता था तथा सुखदेव पुत्र छगना व देवलाल पुत्र छगना एक ही व्यक्ति का नाम होने से उक्त शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम देवलाल आ0 छगना है एवं सुखदेव आ0 छगना व देवलाल आ0 छगना एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्हें मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रांवली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र व ग्राम पंचायत टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक का प्रमाण पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण के पिता व पति नाम देवलाल पुत्र छगना दर्ज है, जो कि वर्तमान जमाबंदी में सुखदेव वल्द छगना अंकित है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 345 में वर्णित भूमि भूमि खसरा संख्या 152/1879 रकबा 1.1331 हैक्टेयर वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणीजा तहसील हिण्डोली में दर्ज गैर खातेदार सुखदेव पुत्र छगना के स्थान पर देवलाल उर्फ सुखदेव पुत्र छगना शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 06.02.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

06/02/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज.